प्रेषक,

सुशील चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0,
लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (5) अनुभाग **दिनांक लखनऊ, अगस्त 5 : 1986**

विषयः उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के विद्यार्थियों से भवन तथा साज–सज्जा अनुदान तथा खेलकूद शुल्क लिया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित समस्त प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के विद्यार्थियों से विद्यालय भवनों के रख रखाव, नव निर्माण व उनकी साज–सज्जा की पूर्ति के व्यय को पूरा करने के लिए रू0 1/–प्रति विद्यार्थी प्रति तिमाही दान के रूप में प्राप्त किए जाने के आदेश शासनादेश संख्या 7852/15–5–312/76 दिनांक 15.1.1977 के अन्तर्गत जारी किए गये थे, जिसे बाद में शासनादेश संख्या 1294/15–5–312/76 दिनांक 14 मार्च, 1977 द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन ने पुनः यह निर्णय लिया है कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित समस्त प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के विद्यार्थियों से विद्यालय भवनों के रख–रखाव, नव निर्माण व उसकी साज–सज्जा की सम्पूर्ति व्यय को पूरा करने के लिए विकास अभिदान कक्षा 02 से 05 तक रू0 1/– प्रति माह तथा कक्षा–6 से 8 तक रू0 2/– प्रतिमाह दान के रूप में प्राप्त किया जाय। कक्षा–1 से कोई अभिदान नहीं लिया जाएगा तथा मई और जून में कोई अभिदान नहीं लिया जाएगा। यह केवल 10 माह के लिए प्रत्येक वर्ष लागू रहेगा। छात्रों से वसूल किए जाने वाले इस विकास अभिदान को उसी विद्यालय की विशेष मरम्मत, पेयजल की व्यवस्था, साज–सज्जा अर्थात टाट–पट्टी, मेज, कुर्सी, श्याम पट आदि की व्यवस्था एवं ऐसे विकास कार्य जो परिषद द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किए जाय पर व्यय किया जाएगा।

2. उक्त प्राप्त धनराशि का 90 प्रतिशत सम्बन्धित विद्यालय के नाम किसी बैंक/पोस्ट आफिस में रखा जाएगा और इस खाते का संचालन गांव शिक्षा समिति के अध्यक्ष अर्थात ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत धनराशि जिला स्तर पर खोले गये खाते में रखी जाएगी, जिसका संचालन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करेंगे।

3. उक्त 90 प्रतिशत धनराशि का व्यय ग्राम शिक्षा समिति के नियंत्रणाधीन होगा और उससे अधिक व्यय की अपूव्रि जिला स्तरीय जमा 10 प्रतिशत धनराशि आवश्यकतानुसार की जाएगी। जिसके सम्बन्ध मं ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजे जायेंगे।

4. नगर क्षेत्र में यह खाता विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा अधीक्षक द्वारा नाम निदिष्ट उस विद्यालय के क्षेत्र के निवासी किसी कार्यरत या सेवा निवृत राजकीय कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।

5. इसी प्रकार प्राइवेट विद्यालयों में जूनियर हाई स्कूल के स्तर पर छात्रों से विकास शुल्क लिया जाएगा। प्राइवेट विद्यालयों में सम्प्रति कक्षा–6, 7 व 8 में क्रमशः 25 पैसे, 50 पैसे

व 50 पैसे प्रति छात्र प्रतिमाह लिया जा रहा है। जो संस्थाएं शासन से अनुदान प्राप्त करती है, उन पर वेतन वितरण अधिनियम लागू रहता है। ऐसी संस्थाओं में उक्त शुल्क की आधी धनराशि अनुरक्षण निधि मं गिनी जाती है और कर्मचारियों के वेतन विवरण हेतु प्रयुक्त होती है और प्रबन्ध तंत्र के पास केवल आधी धनराशि ही संस्था के विकास हेतु उपलब्ध रहती है। यह आधी धनराशि प्रबन्ध तंत्र द्वारा लेते रहने का कोई औचित्य नहीं है। विद्यार्थियों से विकास निधि योजना लागू करने के साथ ही विकास शुल्क की दर आधी कर दी जाएगी और इस शुल्क की एकत्र धनराशि पूरी की पूरी अनुरक्षण निधि में यथावत गिनी जाएगी। कक्षा–7 व 8 में इसकी संशाधित दर 50 पैसे के स्थान पर 25 पैसे होगी लेकिन कक्षा–6 में 25 पैसे के स्थान पर 12.5 पैसा रखना अव्यवहारिक अंकित होने की वजह से नई दर 15 पैसा होगी। प्राइवेट विद्यालयों में विकास निधि का उद्देश्य एवं दरें वहीं होगी जिनका उल्लेख ऊपर प्रस्तर–1 में किया गया है। इसका खाता संस्था के प्रबन्धक प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किस अनुसूचित बैंक में खोला जाएगा। 500 रू0 तक का कार्य प्रबन्धक के आदेश से तथा इससे अधिक का कार्य प्रबन्ध समिति के प्रतिबन्ध यह है कि पहली दशा में प्रबन्धक के लिए उसकी सूचना प्रबन्ध समिति की अगली बैठक में देना बन्धनकारी होगा।

6. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि छोटे बच्चों में खेलकूद के प्रति रूझान और खेलकूद के माध्यम से उनके सदगुणों के विकास के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए खेलकूद शुल्क प्राइमरी कक्षाओं में छात्रों से प्रति छात्र प्रति मास .10 पैसे (दस माह तक) या रू0 1/– प्रति वर्ष तथा कक्षा–4 व 5 में प्रति छात्र प्रति मास .20 पैसे (दस माह तक) या रू0 2/– प्रति वर्ष तथा कक्षा 6, 7 व 8 में रू0 2/– प्रति छात्र प्रति मास (दस माह तक) लिया जाएगा। इस प्रकार जो धन वसूल होगा वह सम्बन्धित स्कूलों पर ही व्यय किया जाएगा और वसूल होने वाले धनराशि जिला बेसिक शिक्षा निधि में जमा होगी।

7. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से विकास शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी तथा शेष छात्रों की संख्या के 10 प्रतिशत तक छात्रों को विकास शुल्क से गरीबी के आधार पर छूट देने का अधिकार ग्राम्य शिक्षा समिति/नगर शिक्षा समिति जैसी स्थिति हो को प्राप्त होगा।

8. प्राप्त होने वाली धनराशि के व्यय की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किए जायेंगे। जिसके सम्बन्ध में आप अपनी संस्तुति शासन को शीघ्रातिशीघ्र भेजें। यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग–1 के अशासकीय पत्र संख्या एफ.ए. 705/दस–86, दिनांक 23 जून, 1986 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहें है।

भवदीय

सुशील चन्द्र

अनु सचिव